प्रेषक

निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
हरियाणा पंचकूला

सेवा में

1. सभी उपायुक्त, हरियाणा
2. सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी, हरियाणा
3. सभी जिला बाल संरक्षण अधिकारी, हरियाणा
4. सभी प्रधान मजिस्ट्रेट, कशोर न्याय बोर्ड हरियाणा
5. सभी अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, हरियाणा
6. सभी अधीक्षक, बाल देखभाल संस्थान, हरियाणा

विषय: बाल देखरेख संस्थानों में रहते बच्चों की कोविद- 19 से सुरक्षा हेतु सुओ मोटो रिट याचिका (सिविल) नंबर 4, 2020 के बारे में ।

उपयुक्त विषय में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 3.3.2020 (प्रति संलग्न) तथा इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2397- 2545 दिनांक 20.03.2020 के संदर्भ में।

आप सभी से अनुरोध किया जाता है कि उन सभी बच्चों के लिए तुरंत निम्नलिखित कदम उठाये जो हरियाणा राज्य के बाल देखरेख संस्थानों में रहते है जैसे कि बच्चे जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है, बच्चे जो कानून के साथ संघर्ष में है या जो बच्चे फोस्टर और किनशिप केयर के लाभार्थी है।

सभी उपायुक्तों से अनुरोध है कि अपने जिले के सत्र न्यायाधीश, सीडब्ल्यूसी, पीएम जेजेबी, डीपीओ और डीसीपीओ के साथ मिलकर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पैरा नं 1-11 पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें।

1. **बाल कल्याण समितियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही:**

- कोविड (COVID-19) को दृष्टिगत रखते हुए बाल कल्याण समिति को सक्रिय हो कर समस्त कदम उठाने बारे विचार करना चाहिए। निरक्षण की जाए और बच्चों के हित/ स्वास्थ/ सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को बाल देखरेख ग्रह में रखने बारे विचार करना चाहिए।

- कोविड (COVID-19) से होने वाले जोखम से बाल ग्रहों (चिल्ड्रन होम्स)/ विषेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी (स्पेशलिज़्ड एडॉप्शन एजेंसीज)/ खुला आश्रय गृह (ओपन शेल्टर होम्स) में रहने वाले बच्चों को बचाने के लिए करने वाले उपायों की चर्चा करने के लिए स्पेशल ऑनलाइन/ वीडियो सेशंस (Special Online/Video Session) का आयोजन किया जा सकता है।

- गेटकीपिंग और रोकथाम के लिए उपायों पर विचार करने की जरूरत है और परिवारों को परामर्ष सेवाएं (counseling services) प्रदान करना चाहिए कि बच्चों को संस्था में रखना अंतिम आश्रय है। जब भी संभव हो पूरा ध्यान उनके अलगाव व बचाव पर देना चाहिए।

- जो बच्चे परिवारों में वापिस भेजे गए है उन मामलों कि निगरानी दूरभाष के माध्यम से करनी जरूरी है। फोस्टर केयर में रहने वाले बच्चों के लिए जिला बाल सुरक्षा इकाई, फोस्टर केयर और एडॉप्शन समिति से समन्वय बनाये रखना है।

- किसी भी तरह की हिंसा से सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बाल कल्याण समिति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, व्हाट्सप्प और दूरभाष के माध्यम से लगातार निगरानी रखनी चाइये क्योंकि इस पर विचार करना आवश्यक है कि लॉक डाउन व बीमारी के डर से पैदा हुए उत्तेजना व तनाव से हिंसा जैसे यौन हिंसा व लिंग आधारित हिंसा बढ़ सकती है।

- बाल कल्याण समिति को फोस्टर केयर एवं किनशिप केयर स्कीम के तहत रखे गए बच्चों के लिए सभी सूचनाओं को फोस्टर परिवार के साथ जरूर साँझा करना सुनिश्चित करना चाहिए।

- जैसे की बाल देखरेख ग्रह बच्चों के लिए अंतिम आश्रय है, आपने बच्चों को कोविद से सुरक्षित रखने के लिए और सामाजिक दूरी को बनाये रखने के लिए अगर जरूरत पड़े तो देख रेख व सुरक्षा वाले बच्चें जो एकल माता पिता के है उन को अपने घरो में वापिस भेजा जा सकता है। यह भी बाल कल्याण समिति द्वारा जरूर सुनिश्चित करना चाहिए।

2. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा निम्नलिखित मामलों में कार्रवाई की जानी चाहिए:

- किशोर न्याय बोर्ड / बाल न्यायालय को ऑब्जर्वेशन होम (Observation Home), विशेष घरों (Special Homes) और सुरक्षा के स्थानों (Place of Safety) में रहने वाले बच्चों को COVID-19 से उत्पन्न होने वाले नुकसानों से बचाव हेतु निवारक उपायों पर विचार करना होगा।

- किशोर न्याय बोर्ड और बच्चों के न्यायालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस बात पर लगातार विचार करें कि COVID-19 के बढ़ते हुए खतरों को देखते हुए क्या एक बच्चे या बच्चों को ऑब्जर्वेशन होम (Observation Home), विशेष घरों (Special Homes) और सुरक्षा के स्थानों (Place of Safety) में रखा जाना चाहिए और क्या वह बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुनश्चित करता है या नहीं।

- किषोर न्याय बोर्ड सभी बच्चों को जमानत पर रिहा करने के लिए कदम उठाने पर विचार करेगा। यदि कोई स्पष्ट और वैध कारण हो तो ही किषोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 12 का उपयोग किया जा सकता है।

- मामलो के शीघ्र निराकरण करने हेतु वीडियो कान्फ्रेसिंग अथवा वीडियो सिटींग (sitting) को आयोजित किया जा सकता है।

- संप्रेक्षण ग्रह में रहने वाले बच्चों को परामर्ष सेवाएं प्रदान करवाना सुनिश्चित करे।

- किशोर न्याय बोर्ड को संप्रेक्षण ग्रहो कि स्तिथि को लगातार निगरानी करने की जरूरत है। इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है कि लॉक डाउन और बीमारी के डर के कारन उत्पन तनाव/ हिंसा से हिंसा (जैसे कि यौन हिंसा शामिल है) बढ़ सकता है।

3. डीसीपीओ द्वारा की जाने वाली कार्रवाई:

- जिला बाल संरक्षण इकाइयों और बाल देखभाल संस्थानों के अधीक्षक को मिलकर एक आपदा / आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी गंभीर स्तिथि से लड़ने के लिए सीसीआई कर्मचारियों की रोटेशन या शेड्यूल में ड्यूटी लगाई जानी चाइये। प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को व्यवस्थित करने

के लिए एक प्रणाली विकसित करना शुरू करें, जो जरूरत पड़ने पर बच्चों की देखभाल के लिए कदम रख सकें।

लॉक डाउन से उत्पन तनाव से हिंसा/ दुर्व्यवहार, नजरअंदाज़ी, लिंग आधारित हिंसा (Gender-based Violence) बढ़ने की सम्भावना होती है। इससे सुरक्षा हेतु एक निगरानी सिस्टम (Monitoring System) होना अनिवार्य है।

- सुनिश्चित करें कि सभी बाल देखभाल संस्थानों को पर्याप्त बजटीय आवंटन (budgetary allocation) किया जाए ताकि महामारी के प्रभावी प्रबंधन के लिए उत्पन्न होने वाली लागतों को पूरा किया जा सके और सभी बाधाओं और प्रक्रियात्मक देरी पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया जा सके।

- बच्चों को फोस्टर केयर के तहत पालने वाले परिवारों को COVID19 को रोकने के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ऐसे वक़्त में उनकी स्वास्थ्य और मनोसामाजिक भलाई की स्थिति का ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही में बच्चों को फोस्टर केयर के तहत पालने वाले परिवारों को COVID-19 के बारे में जानकारी देना सुनिश्चित करे।

- COVID-19 से लड़ने के लिए बाल देखभाल संस्थानों की नियमित निगरानी/निरीक्षण अनिवार्य होनी चाहिए।

4. हरियाणा के बाल देखभाल संस्थानों के सभी अधीक्षकों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई:

- सभी बाल देखरेख संस्थानों के अधीक्षकों को COVID-19 से जुड़े तथा कार्यालय से प्रासंगिक सलाह, परिपत्रों और दिशानिर्देश को नियमित रूप से पालन करना अनिवार्य है।

- हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा COVID 19 की जागरूकता सम्बंधित एडवाइजरी का प्रभावी तरीके से उपयोग करें।

- अच्छी गुणवत्ता वाले फेस मास्क, साबुन, विरंजन जैसे ब्लीच या अल्कोहल युक्त कीटाणुनाशक आदि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें।

- पर्याप्त भोजन, पीने का पानी, और अन्य आवश्यकताएं जैसे स्वच्छ कपड़े, मासिक धर्म स्वच्छता उत्पाद, आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

- बाल देखरेख संस्थानों के प्रभारी और बाल देखरेख संस्थानों में काम करने वाले अन्य सभी कर्मचारी लगातार बच्चों को COVID19 से उत्पन्न होने वाले नुकसान के जोखिम से सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।

- अधीक्षक को COVID19 पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्थापित नई राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 1800112545 पर कॉल करना चाहिए, जो कि कोरोना वायरस महामारी से संबंधित किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के मामले में जानकारी देने के लिए तत्पर है। इस विषय में चाइल्ड लाइन 1098 का भी उपयोग किया जा सकता है।

- यदि किसी बच्चे या स्टाफ में COVID-19 के लक्षण नजर आये तो कृपया ऊपर उल्लिखित हेल्पलाइन और एक स्थानीय चिकित्सक को संपर्क करे। डॉक्टर / हेल्पलाइन द्वारा ऐसी सलाह मिलने पर या लक्षण गंभीर होने पर ही अस्पताल जाएँ।

- COVID19 के लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले स्टाफ या किसी अन्य व्यक्ति को CCI में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

- सीसीआई को सामाजिक भेद यानि की सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देना चाहिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (MOHFW), ने सोशल डिस्टेंसिंग पर दिशानिर्देश जारी किए हैं।

- सीसीआई को साफ़ पानी और साबुन, अल्कोहल रब / हैंड सैनिटाइज़र या क्लोरीन के घोल से नियमित रूप से हाथ धोने की व्यवस्था करनी चाहिए और रसोई और स्नानघर सहित विभिन्न सतहों की प्रतिदिन कीटाणुशोधन से सफाई करनी चाहिए। जहां पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है, वहाँ आवश्यक कार्रवाई के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

- सीसीआई को उचित पानी, स्वच्छता, कीटाणुशोधन और अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए और पर्यावरण की सफाई और परिशोधन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।

- COVID-19 की जानकारी हर बाल देखरेख संस्थान के प्रभारी के पास होना अनिवार्य है। बीमारी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका इस वायरस के संपर्क में आने से बचना है। यह वायरस एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे वियक्ति में फैलता है।एक संक्रमित वियक्ति 2 मीटर के भीतर और 15 मिनट के अंदर अपने आस पास और निज़ी संपर्क में आने वाले वियक्ति को इस वायरस से संक्रमित कर सकता है। जब एक संक्रमित

व्यक्ति खांसता है या छींकता है, तो सांस की बूंदों का उत्पादन होता है। ये बूंदें उन लोगों के मुंह या नाक में उतर सकती हैं जो आस-पास हैं या संभवतः उनके भीतर प्रवेश कर सकती है।

- अधीक्षक को सकारात्मक स्वच्छता व्यवहारों के अभ्यास, प्रचार और प्रदर्शन के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और उनके उत्थान की निगरानी करनी चाहिए क्योंकि वर्तमान में COVID-19 को रोकने के लिए कोई उपचार नहीं है।

- अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवासीय परिसर / परिसर में मौजूद गार्ड, माली, चालक, आदि द्वारा हैंड सैनिटाइज़र का लगातार उपयोग किया जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि हाथों को साफ और कीटाणुरहित किया जाता है। अक्सर मुख्य द्वार पर हाथ साफ करें और नियमित रूप से हाथ धोने की याद दिलाएं।

- संभव हो तो कम से कम 70% अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइज़र की व्यवस्था करें। सुनिश्चित करें कि हाथों की सभी सतहों को कवर किया गया है, और उन्हें सूखा होने तक एक साथ रगड़ दिया जाता है। CCI के प्रभारी को इस उद्देश्य के लिए आपातकालीन / आकस्मिक धनराशि का उपयोग करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए, और अगर जरूरत हो तो अतिरिक्त बजटीय आवंटन के लिए निवेदन करे।

- अधीक्षक को सामाजिक भेद सोशल डिस्टन्सिंग का अभ्यास करना चाहिए। शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। हाथ मिलाना और गले लगना जैसे अभिवादन से बचें। बच्चों और स्टाफ को सामाजिक दूरी बनाए रखने का निर्देश दें।

- सीसीआई में प्रवेश करने वाले लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध होना चाहिए। बैठकें वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएंगी।

- डिस्टेंसिंग सीसीआई में लागू होना चाहिए, जहां बच्चे और स्टाफ के सदस्य पढ़ने, भोजन और टेलीविजन रूम में एकत्रित होते हैं।

- सीसीआई बिल्डिंग, विशेष रूप से पानी और स्वच्छता सुविधाओं को दिन में एक बार साफ और कीटाणुरहित करें, और विशेष रूप से सतहों को साफ़ करे (इससे सतहों को जो बहुत से लोगों ने छुआ हो जैसे की रेलिंग, दरवाजे और खिड़की के हैंडल, खिलौने, शिक्षण और सीखने के सहायक आदि)। दैनिक स्वच्छ और कीटाणुरहित सतहों को साफ करें। एक बीमार व्यक्ति के गंदे कपड़े बाकी कपड़ो के साथ धोये जा सकते है यदि गर्म पानी में धोया जाता है और पर्याप्त मात्रा में साबुन / डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया गया हो। साथ ही

में स्वच्छ शौचालय सुनिश्चित करें। साफ़ और स्वच्छ रसोई की स्थिति बनाए रखें। घर के अंदर लाने से पहले सभी कोरियर पैकेज, पार्सल, किराने के पैकेट की सफाई / कीटाणुरहित करना।

- अधीक्षक को बच्चों की नियमित जांच करनी चाहिए। लक्षणों में बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ शामिल हो सकते हैं। स्वास्थ्य रेफरल प्रणाली का पालन किया जाना है। CCI को तुरंत एमके द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। लक्षणों के मामले में, बच्चों में CCI में एक संगरोध/ आइसोलेशन में रखें या वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करे।

- आपातकालीन स्थितियों के लिए अग्रिम योजना बनाये। इसके लिए आपातकालीन फ़ोन नंबर जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, फायर, पुलिस आदि अपने पास सुनिश्चित करे। बीमार बच्चों और कर्मचारियों को स्वस्थ बच्चों और कर्मचारियों से अलग किया जाए। अतः बच्चों के माता-पिता / देखभाल करने वालों को सूचित करें, और जहां भी संभव हो स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं / स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ परामर्श करें।

यह भी सूचित किया जाता है कि विभिन्य विभागों और नागरिको के उपयोग के लिए एक पूर्ण रूप से समर्पित COVID-19 वेबसाइट Haraadesh.nic.in तयार की गई है जहा विभिन्य दिशा निर्देश उपलब्ध है। यह भी सूचित किया जाता है की COVID-19 के खिलाफ लड़ने के लिए हरियाणा के विभिन्य जिलों के लिए जिला हेल्पलाइन नो जारी किये गए है ताकि सभी हितधारकों के साथ साँझा किया जा सके। किसी भी आपात स्तिथि में जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला बाल संरक्षण अधिकारी को संपर्क करके तुरंत सूचित कर सकें।

इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण, जेल विभाग हरियाणा द्वारा COVID-19 के लिए जारी की गई हिदायते, दिशानिर्देश और सलाह का सभी हितधारकों को अवश्य पालन करना पड़ेगा। यह भी सूचित किया जाता है है कि कोविद के खिलाफ लड़ने के लिए आरोग्य सेतु आप्लिकेशन (Arogya Setu App) विकशित किया गया है। इस ऐप को एप्पल सिस्टम **ios: itms-apps//tunes.apple.com/app/id505825357** में तथा एंड्राइड सिस्टम **Andriod: https://Play .google.com/store/apps/details?i=nic,goi..arogyasetu** से डाउनलोड किया जा सकता है।

इसके अलावा जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला बाल संरक्षण अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायलय के आदेशों को प्रभावी ढंग से लागु एवं पालन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर जरूरत पड़े तो बच्चे की देखभाल एवं संरक्षण व चिल्ड्रन इन कनफ्लिक्ट विथ लॉ के बच्चों को बाल कल्याण समिति व किशोर न्याय बोर्ड के आदेशों उपरांत बच्चों को घर भेजा जा सकें। यह भी सूचित

किया जाता है कि प्रत्येक हितधारक को अपने कर्तव्य का पालन करना होगा नहीं तो किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर सख्त कारवाही की जाएगी। किशोर न्याय मॉडल रूल्स 2016 की धारा 66(1) के अंतर्गत, कर्तव्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नियमों व आदेशों के उलंघन को गंभीरता से लिया जायेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कारवाही की जाएगी।

कृपया ध्यान दे: विभाग द्वारा जेजे एक्ट, 2015 के बेहतर कार्यनिवरन के लिए बजट मार्च माह में दिया गया है लेकिन अभी भी किसी जिला कार्यक्रम अधिकारी को अतिरिक्त बजट की आवश्यकता हो तो वह मांग सकते है।

-sd-

निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग,

हरियाणा पंचकूला

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL ORIGINAL JURIDICTION

SUO MOTO WRIT PETTION (CIVIL) NO. 04 OF 2020

IN THE MATTER OF :

IN RE CONTAGION OF COVID 19 VIRUS IN CHILDREN PROTECTION HOMES

आदेश

1. COViD-19 महामारी जो कि देश मे तेजी से फैल रही है को दृष्टिगत रखते हुये स्वतः संज्ञान लेते हुये यह रिट पिटिशन सूचीबद्व की गई है। ऐसे कई बच्चे है, जिन्हे संरक्षण की अआवश्यकता है तथा जो विधि विवादित है, वह विभिन्न प्रकार के गृहों मे रह रहे है। ऐसे भी बच्चे है, जिन्हे फास्टर केयर एवं स्पांसरशिप मे दिया गया है। यह महसूस किया गया कि इस प्रकार के बच्चों के हितों का ध्यान रखा जाये। ये सभी बच्चे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की श्रेणी मे आते है। इन बच्चों के बचाव एवं सुरक्षा के लिये निम्मनानुसार सुझाव जारी किये जा रहे है।

2. जैसा कि COViD-19 महामारी का तेजी से फैलाव हो रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि प्राथमिकता के आधार पर तत्काल आवश्यक उपाय अपनाये जाने चाहिये, ताकि बाल देखरेख संस्थाओ मे निवासरत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक एवं सम्प्रेक्षण गृह तथा विशेषगृह मे निवासरत विधि विवादित बालकों को COViD-19 के संक्रमण एवं फैलाव से बचाया जा सके। यह निर्देश फास्टर केयर एवं किनशिप केयर वाले बच्चों पर भी लागू होंगे।

3. यह निर्देश COViD-19 के बारे मे वर्तमान मे ज्ञात जानकारी, समझ के आधार पर तैयार किये गये है। राज्य सरकार एवं नोडल विभाग से अनुरोध है कि वे संस्था के अधीक्षक/प्रबंधक को निरंतर प्रासेंसिग एडवाईजरी, सर्कुलर उपलब्ध कराये एवं उन्हे जहां भी आवश्यक हो उचित मार्गदर्शन दें। किशोर न्याय समिति (JJC) उच्च न्यायालय द्वारा भी यह सुनिश्चित किया जाये कि राज्य सरकार द्वारा लाकडाउन के संबंध मे जारी निर्देशों की अवहेलना न हो। हम यह आशा करते है कि जिला प्राधिकारी बच्चों को उनके परिवार, घर, किशोर न्याय बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकारी को हस्तांतरित करने के लिये आवश्यक अनुमति प्रदान की जाये।

4. बाल कल्याण समिति द्वारा किये जाने वाले उपाय

- कोविड (COVID-19) को दृष्टिगत रखते हुये बाल कल्याण समिति सक्रिय होकर समस्त आवश्यक उपाय करेगी। जांच/निरीक्षण करते समय बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं हित को ध्यान में रखना अनिवार्य है।
- कोविड (COVID-19) से होने वाले जोखिम से विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी, खुला आश्रय गृह में निवासरत बच्चों को सुरक्षित रखने हेतु ऑनलाईन अथवा वीडियो सेशन द्वारा किये जाने वाले उपाय के संदर्भ में चर्चा की जा सकती है।

- बच्चों को संस्था में रखना अंतिम उपाय होगा इस हेतु परिवार के साथ विचार विमर्श किया जाना होगा।
- जो बच्चे परिवार में भेजे गये है, उनकी देखरेख टेलीफोन द्वारा की जायेगी। साथ ही जिला बाल संरक्षण समिति तथा फास्टर केयर एवं दत्तकग्रहण समिति के साथ समन्वय कर फास्टर केयर में रहने वाले बच्चों हेतु जिला बाल संरक्षण समिति तथा फास्टर केयर एवं दत्तकग्रहण समिति के साथ समन्वय किया जाना हेगा।
- बाल देखरेख संस्थाओ में निवासरम बच्चों एवं स्टाफ के प्रश्नों के समाधान हेतु राज्य स्तर पर ऑनलाइन डेस्क स्थापित किया जाना हेगा।
- लॉक डाउन एवं कोविड (COVID-19) बीमारी के भय के कारण तनाव एवं चिंता की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति में विशेषकर यौनजनित हिंसा की घटनाये बढ़ने की संभावनायें है।
- वीडियो कान्फ्रेसिंग, वॉट्सअप एवं दूरभाष के माध्यम से हिंसा की समस्त घटनाओं की देखरेख बाल संरक्षण समिति द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

5. किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल न्यायालयों के द्वारा किये जाने वाले उपाय

- विधि के उल्लघंन के लिये अभिकथित और उल्लंघन करते पाये जाने वाले बालक संप्रेक्षण गृह में रखे जाते है।
- किशोर न्याय बोर्ड ऐसे समसत बालकों को बेल पर रिहा करेंगे। यदि कोई स्पष्ट और वैध कारण हो तो ही किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 12 का उपयोग किया जा सकता है।
- प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु वीडियो कान्फ्रेसिंग अथवा वीडियो सेशन आयोजित करें।
- संप्रेक्षण गृह में रहने वाले बालकों हेतु परामर्श सेवाये उपलब्ध करायी जायें।
- लॉक डाउन एवं कोविड (COVID-19) बीमारी के भय के कारण तनाव एवं चिंता की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति में विशेषतः यौनजनित हिंसा की घटनाये बढ़ने की संभावनायें है। किशोर न्याय बोर्ड को नियमित रूप से सम्प्रेक्षण गृह का निरीक्षण करना होगा।

6 राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले उपाय–

COViD-19 को महामारी घोषित किया गया है। सभी राज्य सरकारों को राज्य के संरक्षण मे रह रहे बच्चों को इस आपातकालिक परिस्थिति से बचाव के लिये निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है–

1. COViD-19 से बचाव के लिये समस्त बाल देखरेख संस्था को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाये एवं इससे बचाव हेतु आवश्यक निर्देश समय पर एवं प्रभावी रूप से दिये जाये।
2. आपदा एवं अपातकालीन स्थिति से निपटने के लिये तैयारी रखें। प्रभारी अधिकारी एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ मिलकर स्टॉफ के रोटेशन की योजना बनाये। बाल देखरेख संस्था के स्टॉफ द्वारा आमने–सामने बातचीत यथासंभव न किया जाये।

प्रशिक्षित स्वयं सेवकों को तैयार रखे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका सहयोग लिया जा सके।

3. सभी शासकीय पदाधिकारी अपना कर्तव्य पूर्ण लगन व निष्ठा से करें। ऐसा न करने वाले पदाधिकारी पर कर्तव्य का पालन न करने पर किशोर न्याय नियम 2016 के नियम 66 (1) के प्रावधान अनुसार इसे गम्भीरता से लेते हुये प्रभारी अधिकारी की अनुशंसा पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
4. संस्था मे निवासरत बच्चों के लिये काउन्सलर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। बच्चों के विरूद्व किसी भी प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा न हो इस हेतु मॉनिटरिंग की उचित व्यवस्था की जाये। लाकडाउन के कारण उपजे तनाव से लैंगिक हिंसा की घटना बढ़ सकती है। अतः नियमित मॉटिरिंग करें।
5. पर्याप्त बजट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये, ताकि इस महामारी से निपटने के लिये आवश्यक व्यय किये जा सके। बजट संबंधी किसी भी प्रकार की बाधा एवं प्रक्रियात्मक विलम्ब को प्रभारी रूप से रोका जाये।
6. अच्छी गुणवत्ता के मास्क, साबुन, कीटाणुनाशक जैसे ब्लीच या एल्कोहल युक्त कीटाणुनाशक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
7. पर्याप्त मात्रा मे राशन, पेयजल एवं अन्य आवश्यक सामग्री जैसे साफ कपड़े, सैनिटरि नैपकिन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराये।

7 बाल देखेरेख संस्थाओ के लिये निर्देश–

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 मे बालकों की सुरक्षा के मूलभूत सिद्वांत अनुसार बाल देखरेख संस्थाओं के प्रभारी अधिकारी एवं स्टॉफ पूर्ण सक्रियता से COViD-19 मे होने वाले जोखिम से बच्चों को सुरक्षित रखने हेतु समस्त आवश्यक उपाय करेंगे।

1. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हेल्प लाईन नम्बर 1075 एवं 1800–112–545 की स्थापना की गई है। कोरोना वायरस के संबंध में किसी भी प्रकार के प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिये उपरोक्त नम्बर पर सम्पर्क किया जा सकता है।
2. कोरोना के लक्ष्ण किसी बच्चे या स्टॉफ मे परिलक्षित होने पर हेल्पलाईन या स्थानीय चिकित्सालय से सम्पर्क करें। चिकित्सक या हेल्पलाईन नम्बर की सलाह पर या लक्ष्ण गंभीर होने पर चिकित्सालय जाये।
3. स्टॉफ या कोई अन्य व्यक्ति मे कोविड 2019 के लक्ष्ण परिलक्षित होने पर उन्हे मे प्रवेश न दिया जाये।
4. स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा–निर्देशानुसार सामाजिक दुरी (SOCIAL DISTANCING) का पालन करें।
5. समस्त स्टॉफ एवं बच्चे नियमित रूप से साबुन एवं साफ पानी से हाथ धोंय। कीटाणुनाशक का छिड़काव करायें तथा बालकों के कक्ष, किचन, बाथरूम एवं अन्य स्थानों की नियमित साफ–सफाई करायें। अगर कहीं पानी की पर्याप्त उपलब्धता नही है, तो पानी की समुचित उपलब्धता हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। इस हेतु जिला बाल संरक्षण अधिकारी से सहयोग लेवें।

6. संस्था मे पर्याप्त पानी, साफ–सफाई, कीटनाशक एवं कचरा प्रबंधन की उचित व्यवस्था करें। पर्याप्त स्वच्छता के लिये आवश्यक प्रक्रिया का पालन करें।

08 बाल देखेरेख संस्थाओ हेतु सुरक्षात्मक उपायः–

बाल देखरेख संस्थाओं मे निवासरत बालकों एवं स्टॉफ को COViD-19 से बचाव हेतु प्रभारी अधिकारी द्वारा निम्नानुसार उपाय किये जाना चाहिये।

1. खुद जानिये एवं दुसरो को समझाईये की COViD-19 कैसे फेलता है।

- COViD-19 से बचाव का सबसे बहतर उपाय है कि वायरस के सम्पर्क मे आने से बचें। वर्तमान जानकारी के अनुसार यह वायरस व्यक्ति से व्यक्ति के सम्पर्क मे आने स फैलता है।
- COViD-19 से संक्रमित व्यक्ति से 02 मीटर तक की दुरी मे आमने–सामने आने से बचे।
- जब कोई व्यक्ति छिंकता या खांसता है, तो उसके छिंकने या खासने से निकली बुंदे निकट के किसी व्यक्ति के मुंह या नांक पर पड़ती है, तो वह व्यक्ति भी संक्रमित हो जायेगा।
- अभी तक कोराना से बचाव एवं उपचार के लिये कोई वेक्सिन नही है ।

2. साफ–सफाई हेतु आवश्यक उपाय करें, साफ–सफाई को बढ़ावा देवे, नियमित मॉनिटरिंग करें–

- साबुन/सेनिटाईजर का उपयोग चौकीदार माली, ड्राईवर एवं समस्त स्टॉफ द्वारा नियमित किया जाये। मुख्य द्वारा पर हाथ धोने के लिये साबुन पानी की व्यवस्था की जाये।
- यथासंभव हेंड सेनिटाईजेशन की व्यवस्था करें, जिसमे 70 प्रतिशत एल्कोहल की मात्रा हो। सेनेटाईजर का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करें कि हाथ की सतह मे पूर्णतः सेनेटाईजर का लगाया गया है तथा हाथो को रगड़कर आच्छी तरह से सुखा लिया गय है।
- बाल देखरेख संस्थाओं के प्रभारी अधिकारियों द्वारा अकस्मिक फंड का उपयोग आवश्यक व्यवस्थाओं के लिये किया जाये। अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होने पर मांग पत्र भेजा जाये।

3. सामाजिक दुरी (SOCIAL DISTANCING) का पालन किया जाये

- सामाजिक दुरी बनाये रखें। साथ ही अभिवादन के लिये हाथ मीलाने एवं गले लगने से बचें। स्टॉफ एवं बच्चों के बीच कम से कम 06 फिट (02 मीटर) की दुरी रखें।
- बाल देखरेख संस्था मे कम से कम व्यक्ति प्रवेश करें। बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः निशेध करें।
- सभी बैठके विडियों रिकार्डिंग के माध्यम से करें। बच्चों के माता–पिता से मुलाकात की जगह दुरभाष पर बात करायें।
- सामाजिक दुरी को लागू करने के लिये बच्चों के शिक्षण कक्ष, मनोरंजन कक्ष एवं अन्य उपलब्ध कक्ष का उपयोग किया जाना चाहिये।

4. साफ–सफाई का कड़ाई से पालन एवं कीटनाशक का नियमित उपयोग किया जाये।

वर्तमान जानकारी अनुसार COViD-19 वायरस विभिन्न सतह् मे कुछ घंटो से कुछ दिन तक रह सकता है। साफ–सफाई के द्वारा विभिन्न सतह पर जमी गंदगी, अशुद्वता एवं कीटाणुओं को कम किया जा सकता है। कीटाणुनाशक के प्रयोग से कीटाणुओं को समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार साफ–सफाई एवं कीटाणुनाशक के प्रयोग से इनफेक्शन को फैलने से रोकने मे मदद मिलती है।

- बाल देखरेख संस्था की दिन मे कम से कम एक बार तथा पेय, जल एवं सेनिटेशन सुविधा की सफाई आवश्यक करायें। साथ ही ऐसी सतह जिसको कई लोंगो द्वारा छुआ जा रहा है, जैसे रेलिंग, दरवाजे खिड़की के हेंडल, खिलौने, डोरबेल, लाईट के स्विच, फोन, टायलेट, नल, वाशबेसिन आदि की रोजाना साफ–सफाई एवं कीटनाशक का छिड़काव किया जाये।
- सभी वस्तुएं गर्म पानी से धोंये और पूर्णतः सुखायें। बीमार व्यक्ति/बच्चों के कपड़े अन्य बच्चों के कपड़ों के साथ गर्म पानी की उपलब्धता होने पर ही धोंय एवं पर्याप्त साबुन/र्डिजेन्ट का उपयोग करें।
- टायलेट की समुचित सफाई सुनिश्चित करें।
- किचन मे साफ–सफाई रखें।
- किसी भी प्रकार के कोरियर, पार्सल या खाद्यान्य के पैकेट को संस्था के अंदर रखने से पूर्व उचित तरीके से साफ करें। साफ करने के पश्चात हाथों को सेनेटाईज करें। डिस्पोजल ग्लफस का प्रयोग करें।
- संस्था की साफ–सफाई के लिये डाईलयूटेट ब्लीच/ एल्कोहल साल्यूशन या घरेलू कीटनाशक फिनाईल आदि का उपयोग किया जाये।

09 बाल देखरेख संस्था हेतु Responsive उपाय–

1. **नियमित स्कीनिंग –** COViD-19 से संक्रमित होने पर बुखार, खांसी तथा सांस लेने मे तकलीफ हो सकती है। COViD-19 के लक्ष्ण सर्दी जुखाम या बुखार के समान होते है, इसलिये COViD-19 है या नही इस हेतु जांच कराई जाना आवश्यक है।

2. **स्वास्थ्य दिशा–निर्देशों का पालन करें –** संस्था द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देश का पालन किया जाना चाहिये। संस्था मे कोई बच्चा या स्टॉफ बीमार होता है, तो संस्था के डाक्टर को तत्काल सूचित करें। किसी भी बच्चे या स्टॉफ को COViD-19 के संक्रमण की आशंका है, तो तत्काल हेल्पलाईन नम्बर या स्थानीय चिकित्सक से सम्पर्क करे।

3. **Quqrantine–** किसी बच्चे मे COViD-19 के लक्ष्ण दिखाई देते है, तो उसे Quqrantine मे रखा जाये। जहां Quqrantine की सुविधा न हो वहां वैकल्पिक व्यवस्था की जाये।

4. आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिये पूर्व से योजना बनाना–

संस्था के प्रभारी अधिकारी के संस्था से जुड़े हुये हेल्थ स्टॉफ डाक्टर एवं स्थानीय चिकित्सक अधिकारी के लिये योजना तैयार की जाना चाहिये। इस हेतु निम्नानुसार तैयारी की जा सकती है।

- आपातकाल दूरभाष नम्बरों की सूची तैयार कर लें।
- बीमार बच्चों या स्टॉफ को स्वस्थ्य बच्चों/स्टॉफ से अलग रखा जाये।
- किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति से आवश्यक आदेश प्राप्त कर बच्चों की परिस्थिति अनुसार उन्हे उचित स्वास्थ्य सुविधा हेतु रेफर किया जाये या उन्हे उनके घर भेजा जाये।
- इस प्रकार अपनाई जाने वाली समस्त प्रक्रिया की सूचना बालक के माता–पिता बालक एवं स्टॉफ को समय पूर्व दी जाये।

10. फॉस्टर केयर एवं किनशिप(पश्चात्वर्ती) देखेरख के रहने वाले बालकों हेतु किये जाने वाले उपाय–

- पश्चातवर्ती देखरेख करने वाले परिवारों को कोविड (COVID-19) बीमारी से संबंधित समस्त जानकारी दी जाना होगी।
- बालकों को शरीरिक एवं मानसिक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति समझने हेतु फॉलोअप किया जाना हेगा। साथ ही संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर क्या करना होगा, की जानकारी देनी होगी।

11– देखरेख एवं संरक्षण तथा विधि विवादित बच्चों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश।

- COViD-19 के कारण बच्चों मे तनाव, गुस्सा या अवसाद हो सकता है। बच्चों के व्यवहार मे परिवर्तन आ सकता है। ऐसे मे कुछ बच्चे शांत हो सकते है, तो कुछ बच्चे गुस्से भरा व्यवहार कर सकते है।
- बच्चों को आपस मे बातचीत करने एवं जिन पर वे भरोसा करते है उनसे अपनी समस्याएं एवं भावनाएं शेयर करने के लिये प्रोत्साहित करें।
- COViD-19 से जुड़ी टीवी समाचार की चर्चा से बच्चों को दूर रखे तथा उनका ध्यान अन्य सकारात्मक विषयों पर केंद्रित करें। बच्चे टीवी, समाचार की खबरों से घबरा एवं निराश हो सकते है।
- बच्चों के स्कूल बंद होने एवं दैनिक दिनचर्या मे बाधा होने से उनमे तनाव बढ़ सकता है। नियमित दिनचर्या का पालन किये जाने के प्रयास किये जाना चाहिये, ताकि बच्चों मे तनाव को कम किया जा सके। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके की बच्चे अपने को सुरक्षित महसूस करें।
- बच्चों के साथ समय बिताये उनके साथ विभिन्न गतिविधियां करें, जिन्हे वो पसंद करते है। यह सुनिश्चित करे कि बच्चे अपने मनपसंद के खेलकूद एवं अन्य गतिविधियां कर सकें। स्कूल के आगे भी बंद होने की स्थिति मे स्कूल के शिक्षक से बात कर बच्चों से केंद्रित गतिविधियों की सूची तैयार कर ले, ताकि उन्हे व्यस्थ रखा जा सके।

- COViD-19 बीमारी एवं लाकडाउन के कारण बच्चों के बीच हिंसा के साथ ही लैंगिक हिंसा बढ़ सकती है। ऐसे मे बच्चों मे अनुशासन बनाये रखने के लिये मारपीट या दुर्व्यवहार न करें। मारपीट या दुव्यर्वहार से बच्चों मे तनाव व व्यग्रता बढ़ सकती है, जो कि आगे चलकर मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावीत कर सकती है। संस्था मे बच्चों द्वारा आपस मे तथा स्टॉफ द्वारा किसी भी प्रकार की बच्चों से हिंसा या मारपीट की न जाये, यह सुनिश्चित किया जाये।
- बच्चों का उचित मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार से अपने साथियों का सहयोग करें। बच्चों एवं स्टॉफ द्वारा किसी भी बच्चे का बहिष्कार एवं डराये धमकायें नही।
- स्वास्थ्य कर्मियों/ सामाजिक कार्यकर्ता/परामर्शदाता के सहयोग से बच्चों एवं स्टॉफ को चिन्हांकित करे, जो तनाव या अवसाद मे है तथा उन्हे आवश्यक उपचार प्रदान करें। संस्था मे ऐसे बच्चे हो सकते है, जिन्हे पूर्व से ही मानसिक व्वास्थ्य हेतु उपचार किया जा रहा हो। ऐसे बच्चों की काउंसलिंग एवं उपचार की व्यवस्था मनोचिकित्सक से पूर्ववत जारी रखी जाये।
- छिंकने या खांसने पर किसी भी बच्चे या स्टॉफ के लिये अशब्दो का प्रयोग न किया जाये। यह समानता एवं भेदभाव न करने एवं गरिमा ओर मूल्य के सिद्वांत का उल्लंघन है।
- बच्चों को योग लम्बी सांस, सम्पूर्ण आहार, व्यायाम, आच्छी नींद से अपना ख्याल रखने के लिये प्रोत्साहित करना।
- सामाजिक सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्क्रीनींग एवं थेरेपी के लिये सेवाए प्राप्त करे, ताकि उन्हे इस संकटपूर्ण परिस्थिति मे उचित सुविधायें एवं उपचार प्राप्त हो सके।

12– इस कोर्ट की रजिस्ट्री को यह निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रति सभी राज्यो एवं केन्द्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव को ई–मेल से प्रेषित की जाये, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि इस आदेश का स्थानीय भाषा मे अनुवाद कर सभी बाल कल्याण समिति एवं बाल देखरेख संस्था को उपलब्ध करावेंगे। इस आदेश की एक प्रति ई–मेल के माध्यम से सभी राज्यो के उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रेषित की जाये, जो इस आदेश की एक प्रति किशोर न्याय बोर्ड, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट एवं चिल्ड्रन कोर्ट, पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

13 रजिस्ट्रार जनरल समस्त उच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश को किशोर न्याय समिति समस्त उच्च न्यायालय के समक्ष रखे। हम समस्त किशोर न्याय समिति से यह अनुरोध करते है कि इस आदेश का न केवल पालन सुनिश्चित कराये साथ ही इस आदेश की यथासंभव सप्ताह मे एक बार नियमित समीक्षा करें।

14 इस निर्देश के साथ ही यह रिट पिटिशन समाप्त की जाती है।

....J.
(L.Nageswara Rao)

New Delhi
April 03,2020

....J.
(Deepak Gupta)